

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 10/2026

संतोष

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

एवं 14 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – अशोक कुमार मिश्रा

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. पुनरीक्षित सूची में वाद पुकारा गया है। जनहित में दायर इस याचिका पर बल देने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं है और मामले को स्थगित करने का अनुरोध नहीं किया गया है।
2. तदनुसार, यह न्यायालय उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विकास राय की सहायता से याचिका के अभिलेखों का परीक्षण करने की कार्यवाही करता है।
3. जनहित में दायर इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने ग्रामों- कटरा और खरगौरा, तहसील-इकौना, जिला-श्रावस्ती में स्थित गाटा संख्या 879-ड, क्षेत्रफल 0.0020 हेक्टेयर, जो नवीन परती के रूप में दर्ज है, 892 क्षेत्रफल 0.0250 हेक्टेयर, जो सड़क के रूप में दर्ज है, और 1020 क्षेत्रफल 0.0080 हेक्टेयर, जो मार्ग के रूप में दर्ज है, पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है।
4. उपजिलाधिकारी, इकौना, श्रावस्ती द्वारा दिए गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया है कि उपर्युक्त गाटा पर अतिक्रमण हटाने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही पहले ही संस्थित की जा चुकी है।

5. इन परिस्थितियों में, प्रतिवादियों को यह निर्देश जारी करते हुए याचिका का निस्तारण किया जाता है कि अतिक्रमण हटाने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अंतर्गत संस्थित की गई कार्यवाही को, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, विधि के अनुसार तत्परतापूर्वक संपन्न किया जाए।

9 जनवरी, 2026

अमित के

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)